31.3.22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी/वादी एवं विपक्षी/प्रतिवादी उप. नहीं है वकील वादी व विपक्षी वादी की तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके न्यायालय के उप. नहीं है अतः वादी का वाद आदेश 17 नियम 2 सीपीसी के अधीन बिना किसी लाभ के पत्रावली निस्तारण मुताबिक होकर वाद तामील वकील के शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner